(68)

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
पत्रांक- 1720 /

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी कार्यालय प्रधान,
मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक- 27 अक्टूबर, 2016

विषय- पूरे जिले में दिनांक- 31/10/2016 से दिनांक- 05/11/2016 तक **''सतर्कता अभिचेतना सप्ताह ''** के आयोजन के संबंध में।

प्रसंग- मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 4073 दिनांक- 24/10/2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में कहना है कि है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निर्गत संकल्प में राज्य के सर्वागीण विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम (2010- 2015) निर्धारित किया गया है। जिसमें सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति अपनायी जायेगी। जिस हेतु पूरे राज्य में दिनांक- 31/10/2016 से 05/11/2016 तक ''सतर्कता अभिचेतना सप्ताह'' के आयोजन करने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। इस वर्ष भी दिनांक- 31/10/2016 से 05/11/2016 को इस जिला में ''सतर्कता अभिचेतना सप्ताह'' का आयोजन किया जायेगा।

अतः प्रतिज्ञा पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों / कर्मचारियों के साथ उक्त निर्धारित तिथि-31/10/2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न को ससमय प्रतिज्ञा पत्र पढ़कर संकल्प दिलाया जाय तथा पूरे सप्ताह इस परिप्रेक्ष्य में पूरे जन- जीवन और प्रशासन- तंत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में अपेक्षित सतर्कता के प्रति अभिचेतना का संचार, प्रचार और प्रसार करना सुनिश्चित की जाय।

अनुल्गनक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

27/10/16

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक-1720/सा0, मधेपुरा, दिनांक-27 अक्टूबर,2016

प्रतिलिपि- सभी प्रभारी पदाधिकारी, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ। निदेश है कि दिनांक- 31/10/2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में समाहरणालय, सभा कक्ष में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संकल्प दिलाया जायगा अतएव उक्त निर्धारित तिथि को ससमय अपने सभी कर्मियों के साथ उपस्थित होकर कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी,गोपनीय शाखा, मधेपुरा /जिला नजारत उप समाहर्त्ता ,मधेपुरा एवं कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।
27/10/16

पत्रांक–नि०वि०स्था० (विविध)–35/2010......4073......

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,
अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार,
पटना।

सेवा में,
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,
सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी आरक्षी अधीक्षक

पटना, दिनांक 24.10.16

विषयः– पूरे राज्य में दिनांक 31.10.2016 से 05.11.2016 तक "सतर्कता अभिचेना सप्ताह" के आयोजन के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निर्गत संकल्प में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सुशासन का कार्यक्रम (2010–2015) निर्धारित किया गया है। इस संकल्प के "प्रशासन" शीर्ष के अंतर्गत कंडिका–2 पर निगरानी तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन के संबंध में निम्नांकित संकल्प है :–

"सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति अपनायी जायेगी। भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम–2009 के अंतर्गत भ्रष्ट लोक सेवकों की सम्पति को राज्यसात करने की कार्रवाई को गति प्रदान की जायेगी।"

यह कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार जन–जीवन को आक्रान्त और कलुषित करता है और अंततः उसे संज्ञानहीन कर डालता है। एक स्वच्छ, सक्रिय और निष्ठावान प्रशासन–तंत्र ही राज्य में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को सद्गति प्रदान कर सकता है एवं मानवाधिकार की रक्षा कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में पूरे जन–जीवन और प्रशासन–तंत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में अपेक्षित सतर्कता के प्रति अभिचेतना का संचार, प्रचार और प्रसार समायोजित होगा। अतएव सरकार ने यह निर्णय लिया है कि :–

(1) दिनांक 31.10.2016 को राज्य के सभी लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संबंधी संकल्प 11.00 बजे पूर्वाहन में लिया जाय। जिसके अनुसार सभी सरकारी

E:/Amarjeet/2016/october/Letter

कार्यालयों में प्रधान/कार्यालय के वरीयतम पदाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को संकल्प दिलाया जाय। इस निमित्त अनुलग्नक–क में संकल्प की प्रति संलग्न है।

(२) जिलों में अवस्थित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में "भ्रष्टाचार निरोधक" विषय पर वाद–विवाद/लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय एवं प्रतियोगिता में प्रथम से तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाय।

कृपया इस सतर्कता अभिचेतना सप्ताह को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने की दिशा में यथा सम्भव सभी अपेक्षित कार्रवाईयाँ सुनिश्चित करायें और इसे नेतृत्व प्रदान करें।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

प्रतिज्ञा

हम, भारत के लोक सेवक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे । हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे । हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे । हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे । हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे ।

PLEDGE

WE, THE PUBLIC SERVANTS OF INDIA, DO HEREBY SOLEMNLY PLEDGE THAT WE SHALL CONTINUOUSLY STRIVE TO BRING ABOUT INTEGRITY AND TRANSPARENCY IN ALL SPHERES OF OUR ACTIVITIES. WE ALSO PLEDGE THAT WE SHALL WORK UNSTINTINGLY FOR ERADICATION OF CORRUPTION IN ALL SPHERES OF LIFE. WE SHALL REMAIN VIGILANT AND WORK TOWARDS THE GROWTH AND REPUTATION OF OUR ORGANISATION. THROUGH OUR COLLECTIVE EFFORTS, WE SHALL BRING PRIDE TO OUR ORGANISATIONS AND PROVIDE VALUE BASED SERVICE TO OUR COUNTRYMEN. WE SHALL DO OUR DUTY CONSCIENTIOUSLY AND ACT WITHOUT FEAR OR FAVOUR.

04